मुन्तकिली प्रकरण सं0 45/2019 (RCMS 2019/00081) अनवानी 1. अमरचंद पुत्र श्री सोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी चक 6 जीडी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर 2. सरिता पुत्री स्व. डा. रामकुमार जाति बिश्नोई हाल कनाड़ा जरिये मुखतयारेआम पुनित कुमार पुत्र रामकुमार जाति बिश्नोई निवासी जयपुर हाल चक 7 जीडी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर बनाम 1. अनकौरी पत्नी मामराज जाति मेघवाल निवासी चक 7 जीडी तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर 2. तहसील राजस्व घड़साना जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

28.08.2019

प्रार्थीगण की ओर से श्री विक्रम सिहाग, अधिवक्ता उपस्थित है। बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार(राजस्व), घड़साना के समक्ष उनके द्वारा एक प्रकरण संख्या 01/2006 अनवानी अनकौरी बनाम अमरचंद अन्तर्गत धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लम्बित है। उक्त प्रकरण में अनकौरी ने चक 7जीडी(बी) का मुरब्बा नं. 26/3 के किला नं. 1 ता 3 की कुल 3 बीघा कृषि भूमि स्वयं को स्मालपेच में आवंटन होना बताते हुए अप्रार्थी को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया है। जबकि उक्त प्रश्नगत भूमि प्रार्थीगण के पिता/दादा स्व. सोहनलाल को बतौर कस्टोडियन अलौटी आवंटित हुई थी। इस वजह से स्मालपैच में प्रार्थीया अनकौरी को आवंटित नहीं की जा सकी थी। केवल मात्र कस्टोडियन भूमि का अमलदरामद नहीं होने के कारण अनकौरी को स्मालपेच में गलत आवंटित हुई थी। इस संबंध में अप्रार्थी ने जवाब नोटिस दिनांक 17.12.2018 को पेश कर प्रश्नगत भूमि के डबल आवंटन होने तथा कब्जा काश्त के संबंध में रिपोर्ट तलब करने का निवेदन किया गया था, जो आज तक तलब नहीं की गई है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, घडसाना से निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना नहीं है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे कथन है कि विवादग्रस्त भूमि प्रार्थिया संख्या 2 सरिता को घरू बंटवारे में प्राप्त हुई थी और भूमि प्रार्थिया के कब्जा काश्त में है। प्रार्थिया के विदेश में कनाड़ा में निवास करने के कारण प्रार्थिया अपनी उक्त कृषि भूमि अपने भाई पुनित की देखरेख में काश्त कराती है। इसलिए उसने अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था किन्तु पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थिया को पक्षकार नहीं बनाया तथा पत्रावली अपने पास रखी हुई है। इस सम्बन्ध में प्रार्थिया के अधिवक्ता ने पीठासीन अधिकारी से बात की तो उन्होनें कहा कि वह प्रार्थिया को पक्षकार नहीं बनाएगा और न ही कस्टोडियन भूमि होने के सम्बन्ध में वह पुनः रिपोर्ट तलब करेगा और अनकौरी के पक्ष में ही निर्णय करेगा क्योंकि अनकौरी का लड़का तहसील परिसर में डीडराईटर का काम करता है और हमारे सम्पर्क में रहता है और क्षेत्रीय विधायक का भी उन पर दबाव है। इसलिए प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय से निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा।

उनका यह भी कथन है कि अनकौरी ने कचहरी के आहता, घड़साना में एलानिया रूप से कहा है कि उनकी पीठासीन अधिकारी से बात हो गई है कि फैसला उनके पक्ष में होगा। इसलिए उन्हें अधीनस्थ न्यायालय से निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए उनका प्रकरण अन्य सक्षम न्यायालय में मुंतकिल किया जावे।

मैनें प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा दिये गये तर्को पर मनन किया और अधीनस्थ न्यायालय की टिप्पणी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तो प्रार्थी अमरचन्द वगैरहा का तहसीलदार, घडसाना के समक्ष प्रकरण संख्या 01/2006 अनकौरी बनाम अमरचंद अन्तर्गत धारा 183(बी) का लम्बित है, में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर यह मुंतकिल प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया है। **तहसीलदार, घडसाना ने अपनी टिप्पणी दिनांक 09.07.2019 में प्रार्थीगण**

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

द्वारा लगाए गए अरोपों का खण्डन करते हुए उक्त प्रकरण को अन्यत्र मुंतकिल किये जाने में कोई आपत्ति न होना जाहिर किया है। विवादग्रस्त भूमि अनकौरी की है या उसमें अमरचंद या सरिता का कोई हित व अधिकार है अथवा नहीं? यह इस मुंतकिल प्रार्थना पत्र में तय नहीं किया जाना है। इस मामले में सिर्फ यह देखना है कि क्या प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय से कोई निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना नहीं है, इस पर विचार करना है कि **अगर वास्तव में अधीनस्थ न्यायालय से प्रकरण मुंतकिल नहीं किया गया तो प्रार्थी को निष्पक्ष रूप से न्याय नहीं मिलेगा।** प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में मुंतकिली के लिए स्थानीय विधायक व अनकौरी के पुत्र डीडराईटर का पीठासीन अधिकारी पर दबाव होने सम्बन्धी लगाया गया आरोप साधारण प्रकृति का है और ऐसा आरोप कभी भी किसी पर, किसी भी समय लगाया जा सकता है और दूसरा प्रार्थी संख्या 02 सरिता को अभी इस मामले में पक्षकार के रूप में उसके स्वयं के कथनानुसार स्थापित नहीं किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि वह अभी वह इस प्रकरण में पक्षकार नहीं है। किसी व्यक्ति को पक्षकार बनाना या ना बनाना, अधीनस्थ न्यायालय के विवेकाधीन है और यदि कोई पक्षकार इस प्रकार का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश करता है तो उसे पीठासीन अधिकारी द्वारा सम्बन्धित विधि अनुसार निर्णित किया जाना चाहिए।

मुक्द्दमा मुंतकिली के लिए कोई ठोस आधार होना आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी पर क्षेत्रीय विधायक का दबाव होने व अनकौरी का बेटा जो घड़साना तहसील परिसर में डीड राईटर है, का दबाव सम्बन्धित लगाया गया आरोप साधारण प्रकृति का है, जो मुकद्दमा मुंतकिली का कोई उचित आधार नहीं बनाता है। फिर भी हम चाहते है कि **प्रार्थी का न्याय प्रणाली में पूर्णतया विश्वास बना रहे इसलिए न्यायहित में उक्त प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय से अन्यत्र किसी सक्षम न्यायालय में मुंतकिल किया जाना उचित होगा।**

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अमरचंद द्वारा प्रस्तुत मुंतकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, घड़साना के न्यायालय में लम्बित प्रकरण संख्या I 01/2006 अनकौरी बनाम अमरचंद अन्तर्गत धारा 183(बी) को तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयनगर के न्यायालय में मुंतकिल किये जाने के आदेश दिये जाते है **आदेश की प्रति तहसीलदार(राजस्व) घड़साना/श्रीविजयनगर को पालनार्थ भेजी जावे। तहसीलदार, घड़साना उक्त मूल प्रकरण को शीघ्र तहसीलदार, श्रीविजयनगर के न्यायालय में भिजवावें।** पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर